



प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/46

पं. सं. 8-ई/6 सी. पी. सी. / Advances / 08/E-IV


दिनांक 27/11/2008

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: - Enhancement in the quantum of Natural Calamity
Advance - consequent on recommendation of the 6th
Pay Commission.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(G)2008/AD1/1 दिनांक 14/11/2008
(आर.बी.ई.सं.175/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI 46 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न/यथोक्त


(Trilok Choudhary)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र. का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, आ0भा0आ0जा0/आ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नईदिल्ली-24
4. महासचिव, आ0भा0आ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसंत लेन नई दिल्ली।

③

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE.No.175/08

PC VI No.46

No. E(G)2008/AD 1/1

New Delhi, dated 14.11.2008

The General Manager,
All Indian Railways including
Production Units etc.

**Sub: Enhancement in the quantum of Natural Calamity Advance –
consequent on recommendation of the 6th Pay Commission.**

Consequent on the recommendation of the 6th Pay Commission, the Ministry of Railways have, with the approval of the President, decided to enhance, with immediate effect, the quantum of natural calamity advance admissible to non-gazetted Railway Servants under the provisions of Para 1123(A) of IREM Vol.I from Rs.2500/- (Rs. Two thousand five hundred only) to Rs.5000/- (Rs. Five thousand only) irrespective of their pay. Other conditions for sanctioning of the advance contained in Para 1123(A) of IREM as modified/clarified from time to time will remain the same.

The rate of this advance shall be increased by 25% every time dearness allowance on revised pay bands increases by 50%.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Madan Lal)

Jt. Director Estt.(Gen.)

No. E(G)2008/AD 1/1

New Delhi, dated 14.11.2008

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

[Signature]

For FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS

No. E(G)2008/AD 1/1

New Delhi, dated 14.11.2008

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
4. The Secretary General, FROA

आरबीई सं. 175/2008
पी.सी. VI सं. 46

②

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2008/एडी 1/1

नई दिल्ली, दिनांक 14-11-2008

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
उत्पादन इकाइयों आदि सहित।

विषय: छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदा अग्रिम की प्रमात्रा में वृद्धि।

छोटे वेतन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से भा.रे.स्था.स. वॉल्यूम-I के पैरा 1123 (क) के उपबंधों के अंतर्गत अराजपत्रित रेल सेवकों को, ग्राह्य प्राकृतिक आपदा अग्रिम की प्रमात्रा को उनके वेतन पर ध्यान दिए बिना 2500/- रुपए (केवल दो हजार पांच सौ रुपए) से 5000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) बढ़ाने का विनिश्चय किया है। समय-समय पर आशोधित/स्पष्टीकृत किए गए अनुसार भा.रे.स्था.स. के पैरा 1123 (क) में अंतर्विष्ट अग्रिम को स्वीकृत करने हेतु अन्य शर्तें वही रहेंगी।

जब भी संशोधित वेतन बैंडों पर महंगाई भत्ते की दर में 50% से वृद्धि होती है तो इस अग्रिम की दर में 25% से वृद्धि की जाएगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

14/11/08
(मदन लाल)

सं.नि.स्था. (सा.)

सं. ई (जी) 2008/एडी 1/1

नई दिल्ली, दिनांक 14-11-2008

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।

for
कृते वित्त आयुक्त/रेलें